न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 75 सन 2018
अनवान :–

1. राहूल पुत्र देवीलाल उम्र 12 साल नाबालिगान जरिये बली माजा खूद राजबाला पत्नि देवीलाल जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मोनिका पुत्री देवीलाल उम्र 15 साल नाबालिगान जरिये बली माजा खूद राजबाला पत्नि देवीलाल जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. सरबती पत्नी स्व अमीलाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर
2. देवीलाल 3 सावरमल पि0 अमीलाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर
4 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता सायलान
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायल
निर्णय दिनांक :– 10.01.2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान के पडदादा की रोही मौजा जोरावरपुरा के खसरा न0 20 की 3.6420हैक , खसरा न0 32 की 5.3120हैक खसरा न0 33 की 7.9920हैक खसरा न0 3.2880हैक , खसरा न0 55 की 3.8320हैक कुल 20.0160हैक व रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 24 की 4.1860हैक खसरा न0 28 की 3. 2240हैक कुल 7.4100हैक भूमि थी।

सायलान के पडदादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से मृतक अमीलाल पर औद हुयी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे। अमीलाल की मृत्यू होने के बाद वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में कर्ताखानदान होने के कारण दर्ज हुई है वादग्रस्त भूमि में सायलान का गैरसायला न0 2 के साथ बहिब का हक हिस्सा है क्योकि वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान नाबालिग है तथा काफी सालों से गैरसायल न0 2 ने उनकी माता को घर से निकाल रखा हे वो अपने पिहर में निवास करती है सायलान की आमदनी का एकमात्र साधन वाद भूमि है जिससे वह अपना जीवन यापन कर रहे है ऐसी सुरत में गैरसायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर रहन बेय कर सकते है जिससे सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बेय नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को तलब किया गया गेरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के

कथनों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायलान ने सारी भूमि पर स्थगन आदेश चाहा है जो विधि विरूद्व है क्योकि मात्र देवीलाल के साथ ही विवाद है इसलिये वाद भूमि में समस्त हको पर किसी प्रकार का स्थगन जारी करवाने के अधिकारी नही है

देवीलाल एक बिमार व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब होने के कारण बिमारी के कारण उसकी पत्नी मु. राजबाला अपने पति को छोडकर अपने पिहर चली गई है देवीलाल की माता ने किडनी देकर देवीलाल की जीवन की रक्षा की है ऐसी स्थिति में उसकी पत्नि राजबाला का साथ छोडकर चले जाने कारण किसी प्रकार के हकों की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है देवीलाल को अपनी बिमारी के लिये दवाई पानी के लिये यही एक मात्र भूमि है केवल वादीगण व उनकी माता देवलाल गेरसायल को परेशान करने की नियत से दावा /प्रार्थना पत्र पेश किया गया है राजस्व रिकार्ड में सभी खातेदरान का हक हिस्सा है जिनकों सायल पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि सायलान के पडदादा की रोही मौजा जोरावरपुरा के खसरा न0 20 की 3.6420हैक , खसरा न0 32 की 5.3120हैक खसरा न0 33 की 7.9920हैक खसरा न0 3.2880हैक , खसरा न0 55 की 3.8320हैक कुल 20.0160हैक व रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 24 की 4.1860हैक खसरा न0 28 की 3.2240हैक कुल 7. 4100हैक भूमि थी।

सायलान के पडदादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से मृतक अमीलाल पर औद हुयी जिसके वे खातेदार काश्तकार थे। अमीलाल की मृत्यू होने के बाद वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में कर्ताखानदान होने के कारण दर्ज हुई है वादग्रस्त भूमि में सायलान का गैरसायला न0 2 के साथ बहिब का हक हिस्सा है क्योकि वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान नाबालिग है तथा काफी सालों से गैरसायल न0 2 ने उनकी माता को घर से निकाल रखा हे वो अपने पिहर में निवास करती है सायलान की आमदनी का एकमात्र साधन वाद भूमि है जिससे वह अपना जीवन यापन कर रहे है ऐसी सुरत में गैरसायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर रहन बेय कर सकते है जिससे सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बेय नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान ने सारी भूमि पर स्थगन आदेश चाहा है जो विधि विरूद्व है क्योकि मात्र देवीलाल के साथ ही विवाद है इसलिये वाद भूमि में समस्त हको पर किसी प्रकार का स्थगन जारी करवाने के अधिकारी नही है

देवीलाल एक बिमार व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब होने के कारण बिमारी के कारण उसकी पत्नी मु. राजबाला अपने पति को छोडकर अपने पिहर चली गई है देवीलाल की माता ने किडनी देकर देवीलाल की जीवन की रक्षा की है ऐसी स्थिति में उसकी पत्नि राजबाला का साथ छोडकर चले जाने कारण किसी प्रकार के हकों की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है देवीलाल को अपनी बिमारी के लिये दवाई पानी के लिये यही एक मात्र भूमि है केवल वादीगण व उनकी माता देवलाल गेरसायल को परेशान करने की नियत से

दावा /प्रार्थना पत्र पेश किया गया है राजस्व रिकार्ड में सभी खातेदरान का हक हिस्सा है जिनकों सायल पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार पूर्व में वाद भूमि अमीलाल वादीगण के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीयों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि में सयुक्त खाता में गैरसायाल न0 1 ता 3 के नाम भी भूमि दर्ज है।

यह तथ्य तो वाद में तय होगा की वाद भूमि में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायलान का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में सुविधा का सन्तूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि विरास्तन से सायलान के पिता गेरसायल न0 2 देवीलाल के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है सायलान देवीलाल पुत्र अमीलाल के पुत्र/पुत्रीया है विरास्तन से भूमि देवीलाल के नाम दर्ज होने एवं सायलान देवीलाल के जायज वारिस पुत्र/पुत्रिया होने के कारण प्रथम दृष्ठया प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

सायलान देवीलाल के पुत्र/पुत्रीया है इसलिये सायलान अपने पिता देवीलाल के नाम से दर्ज भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकते है देवीलाल के भाई एवं माता के नाम दर्ज भूमि में सायलान किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है बिना किसी आधार के रिकार्डड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायाचित नही है इसप्रकार सुविधा का सन्तूलन एवं अपूण्रीय क्षति सायलान के बजाय गैरसायल न0 1 ,3 को होगी ।

सायलान अपने पिता देवीलाल गेरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि की सीमा तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाने के अधिकारी है अन्य खातेदारों को पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है।

अतः उपरोक्तानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 27.06.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा केवल सायलान के पिता देवीलाल गैरसायल न0 2 के हक हिस्सा तक अस्थायी निषेघाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म की जाती है अन्य सहकाश्तकारों के हिस्से पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

S.Zaidi

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official